प्रेस नोट
***जनपद – संतकबीरनगर ***
दिनाँक 27.02.2026

85 लाख की अवैध अफीम खेती का भंडाफोड़:- कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 68.7 किग्रा पौधों के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* की उपस्थिति में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री जय प्रकाश दूबे* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग व क्षेत्र भ्रमण के दौरान गंगौली में छापेमारी कर अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया गया।

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मो0 वकील पुत्र स्व0 मंसबदार निवासी गंगौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को उसके मकान से सटे खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती करते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 68.7 किलोग्राम अफीम के हरे पौधे (जड़, फल व फूल सहित) बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 85 लाख रुपये आंकी गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का विवरण:-
दिनांक 26.02.2026 को समय 17:50 बजे सूचना थाना कोतवाली खलीलाबाद प्राप्त हुई कि ग्राम गंगौली में एक व्यक्ति द्वारा अपने मकान के पीछे बनी बाउन्ड्री के अन्दर हरे रंग पौधा काटकर इकठठा रखा है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई और मौके से अभियुक्त को 68.7 किग्रा अफीम के पौधों (फल व फूल सहित) के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी:-
क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अमित कुमार की उपस्थिति में अभियुक्त अपने बाउंड्री के पास अफीम का पौध काटकर जिसका वजन कुल 68.7 किलोग्राम हरे पौधे (जड़, फल व फूल सहित) बरामद किए गए।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अफीम की बुआई की थी।

पंजीकृत अभियोग:-
मु0अ0स0 120/2026 धारा 8/18 NDPS एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

पुलिस टीम का विवरण:- प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री जयप्रकाश दूबे, उ0नि0 श्री रामअवध यादव, उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, हे0का0 पप्पू सिंह, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 प्रदीप पटेल, का0 प्रशांत विक्रम सिंह, का0 रघुवंश प्रसाद।

बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 09 किलो 700 ग्राम अफीम के पौधों (फल व फूल सहित) के साथ 01 अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला *श्री अनिल कुमार* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान मु0अ0सं0 41/2026 धारा 8/18 धारा एनडीपीएस एक्ट में वांछित अभियुक्त 1. मोहम्मद रईस पुत्र स्व0 अब्दुल हई निवासी लोहरसन थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को ग्राम लोहरसन में छापेमारी कर अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़ करते हुए 09 किग्रा 700 ग्राम अफीम के पौधों (फल व फूल सहित) के साथ गिरफ्तार मा0 न्यायालय रवाना किया गया।
घटना का विवरण –
आज दिनाकं 27.02.2026 को सूचना मिली कि ग्राम लोहरसन में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने खेत में अफीम का पौधा बोया है। उक्त सूचना पर थाना बेलहरकला पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर अभियुक्त को 09 किग्रा 700 ग्राम अफीम के पौधों (फल व फूल सहित) के साथ गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग:
मु0अ0स0 41/2026 धारा 8/18 NDPS एक्ट थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

पुलिस टीम का विवरण:- उ0नि0 श्री नन्दा प्रसाद, का0 रामभूषण पटेल, का0 बृजेश सिंह, का0 रोहित कुमार, का0 राहुल कुमार।

अफीम की अवैध खेती के विरुद्ध कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए 68.7 किग्रा अफीम के पौधों (फल व फूल सहित) कीमत लगभग 85 लाख के साथ 01 अभियुक्त की गिरफ्तारी/बरामदगी की सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद द्वारा दी गयी बाईट।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 290 वाहनों से 2,97,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 27.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 149 वाहनों से 2,97,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के पर्यवेक्षण थानाध्यक्ष मेंहदावल *श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह* के नेतृत्व में में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 38/2026 धारा 85/80(2) व 3/4 डी0पी0 एक्ट मे वांछित अभियुक्त आशीष कुमार मिश्रा पुत्र रवीन्द्र कुमार मिश्रा निवासी पिपरा पाण्डेय थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर को टड़वरिया चौराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए काफी समय से प्रताड़ित व मारपीट कर रहा था दहेज की मांग पूरी न करने पर प्रतिवादी द्वारा मानसिक उत्पीड़न करने व दिनाँक 20.01.2026 फाँसी लगाने के संबंध में वादी द्वारा थाना मेंहदावल पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध गंभीरता से लेते हुए थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, हो0का0 अजय कुमार सिंह।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना धनघटा पुलिस/संबंधित विभाग द्वारा अवैध शराब बनाने के 15 कुंतल लहन किया गया नष्ट

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के कुशल निर्देशन एवं प्रभावी पर्यवेक्षण में आगामी त्यौहार के दृष्टिगत जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सघन चेकिंग एवं तलाशी अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान थाना धनघटा पुलिस टीम द्वारा अवैध रूप से तैयार की जा रही लगभग 15 कुंतल लहन बरामद किया गया। बरामद लहन को नियमानुसार मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, ताकि अवैध शराब निर्माण पर पूर्णतः रोक लगाई जा सके।

इस कार्रवाई के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण भी मौके पर उपस्थित रहे तथा पूरी प्रक्रिया को विधि सम्मत ढंग से संपन्न कराया गया। पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

संतकबीरनगर पुलिस आगामी त्यौहार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

गिरफ्तारी पुलिस टीम- में निम्नलिखित पुलिस एवं के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

निरीक्षक अपराध श्री रामेश्वर यादव,उ0नि0 श्री राजेश दूबे,उ0नि0 श्री दिलीप सिंह,उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ,उ0नि0 श्री विनोद यादव,हे0का0 राणा प्रताप यादव, हे0का0 रमेश मिश्रा, हे0का0 रवीन्द्र निषाद,का0 आशुतोष पाण्डेय, 10. का0 गौरव चौहान,का0 रवी चौरसिया,का0 सुमित कुमार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तारी टीम आबकारी विभाग-

निरीक्षक श्री राजकिशोर पटेल, हे0का0 आबकारी वकील सिंह, का0 आबकारी यशवंत सिंह, का0 आबकारी रामकवल मौर्या,का0 आबकारी मुरलीधर मिश्रा, का0 आबकारी महेन्द्र चौधरी, का0 अबकारी संजय चौरसिया,का0 आबकारी मुमताज अहमद जनपद संतकबीरनगर।